No.

मूल्य : दस रूपये मात्र

शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

छात्रावास प्रवेश पत्र

फोटो

-: प्रार्थी का विवरण :-

1. पूरा नाम (हिन्दी में) : ....
   अंग्रजी के केपिटल अक्षरों में) : ....
2. जन्म तारीख (अंकों में) : ....
3. कक्षा / विषय समूह : ..../..........................
4. विवाहित अथवा अविवाहित : ....
5. यदि छात्रावास में गत वर्षों में रहे हों तो उसका विवरण :-

क्र.	सत्र	छात्रावास का नाम
(1)		
(2)		
(3)		

6. जिस परीक्षा के आधार पर आगामी कक्षा में प्रवेश लिया है उसका विवरण :- कक्षा .... वर्ष ....
   श्रेणी .... अंकों का प्रतिशत .... वर्ष ....
7. जाति :- सामान्य/अ.पि.व./अ.जा./अ.ज.जा. : ....
8. पिता का पूरा नाम : ....
9. पालक की वार्षिक आमदनी : ....
10. वर्तमान स्थायी पता : ....
    : ....
    : ....
11. पालक का पता : ....
    : ....
12. संपर्क दूरभाष / मोबाईल नं. : पालक ....स्वयं ....

मैं घोषित करता / करती हूं कि विवरण पत्रिका में उल्लेखित छात्रावास संबंधी सभी नियमों व उपनियमों तथा समय-समय पर प्राचार्य एवं वार्डन एवं अधीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों का मेरा पाल्य, पालन करेगा एवं किसी नियम या उपनियम के तथा शासन के ऐसे निर्देशों के उल्लंघन के कारण यदि उसे छात्रावास से निष्कासित किया जाता है तो वह मुझे मान्य होगा।

स्थान : ....

पालक के हस्ताक्षर एवं नाम

तथा विद्यार्थी के साथ संबंध : ....

तारीख : ....

छात्र का हस्ताक्षर ....

-: प्रवेश अनुशंसा पत्रक :-

--

छात्रावास क्र. .... में श्री ....

कक्षा .... को प्रवेश दिया गया और इन्हें तीन शीट/ दो शीट/ एक शीट वाले कमरे में निवासित किया गया।

प्राचार्य

हस्ताक्षर वार्डन : ....

छात्रावास क्रमांक : ....

दिनांक : ....

शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

—: छात्रावास प्रवेश एवं अनुशासन संबंधी नियमावली :—

(छात्रावास में प्रवेश लेने के पूर्व छात्र—छात्राएं उपलब्ध सुविधा का अवलोकन/निरीक्षण कर पूर्णतः संतुष्ट होने के पश्चात ही छात्रावास में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। सत्र के दौरान भविष्य में किसी अन्य ऐसी सुविधाओं की मांग न करें जिसे पूर्ण किया जाना महाविद्यालय प्रशासन के क्षेत्राधिकार से बाहर हो)

अ— प्रवेश संबंधी प्रावधान

01. छात्रावास में प्रवेश, छात्र/छात्रा की पिछली परीक्षा में प्राप्त अंकों, पालक की पृष्ठभूमि, निवास स्थान से दूरी, छात्रावास वार्डन की अनुशंसा के आधार पर प्रदान किया जायेगा।
02. प्रवेश के समय छात्र/छात्रा के चरित्र एवं आचरण को विशेष रूप से ध्यान में रखा जायेगा।
03. छात्रावास में स्थान सीमित होने के कारण महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर लेने मात्र से छात्रावास में प्रवेश का अधिकार सुनिश्चित नहीं होगा।
04. छात्रावास में कक्ष के आबंटन का अधिकार छात्रावास वार्डन का होगा। किसी भी स्थिति में किसी विशेष कक्ष की मांग मेरे द्वारा नहीं की जाएगी।
05. मैं वार्डन द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्णतः पालन करूंगा/करूंगी।

ब— स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र

01. छात्रावास में प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक छात्र/छात्रा को आवेदन—पत्र के साथ पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
02. स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र का प्रारूप छात्रावास आवेदन—पत्र के पृष्ठ क्रमांक—2 में उपलब्ध है।

स— अनुशासन एवं आचरण

01. छात्रावास में रहने वाले किसी भी छात्र/छात्रा के विरुद्ध अनुशासनहीनता अथवा आचरण संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर उसे तत्काल छात्रावास से निष्कासित किया जा सकेगा।
02. ऐसे छात्र/छात्रा को आगामी सत्र में पुनः प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
03. छात्रावास नियमों का उल्लंघन, रैगिंग, हड़ताल अथवा अन्य अनुचित गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर संबंधित छात्र/छात्रा को तत्काल निष्कासित किया जायेगा।
04. छात्रावास अथवा महाविद्यालय की छवि को प्रभावित करने वाली गतिविधियों अथवा बिना अनुमति मीडिया से संपर्क करने पर भी निष्कासन की कार्यवाही की जा सकेगी।

द— प्राथमिकता संबंधी प्रावधान

01. जिन स्थानों पर महाविद्यालयीन शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ के विद्यार्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता नहीं दी जायेगी।
02. रिक्त स्थान उपलब्ध होने की स्थिति में ही ऐसे विद्यार्थियों के आवेदन पर विचार किया जायेगा।
03. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विशेष परिस्थितियों में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

य– छात्रावास त्याग एवं पुनः प्रवेश

01. जो छात्र/छात्रा प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात छात्रावास छोड़ देता/देती है, उसे पुनः प्रवेश प्रदान नहीं किया जायेगा।

व– शुल्क संबंधी नियम

01. नियत तिथि तक छात्रावास शुल्क जमा न करने पर प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

2. एक बार जमा किया गया छात्रावास शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

3. सत्र के मध्य छात्रावास छोड़ने की स्थिति में छात्र/छात्रा को पूर्ण वार्षिक शुल्क देय होगा।

र– विशेष निर्देश

01. छात्रावास में निवासरत सभी छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
02. छात्रावास प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश सभी पर समान रूप से लागू होंगे।

छात्रावास शुल्क एवं मेस संबंधी नियम

छात्रावास में निवास करने वाले प्रत्येक छात्र/छात्रा को निर्धारित वार्षिक शुल्क नियमानुसार जमा करना अनिवार्य होगा।

मेस शुल्क संबंधी नियम

01. छात्रावास में संचालित मेस व्यवस्था हेतु देय शुल्क, छात्रावास की भोजन समिति द्वारा छात्र/छात्राओं से एकत्रित किया जाएगा। एकत्रित राशि का भुगतान मेस ठेकेदार को प्रत्येक 15 दिवस के अंतराल में किया जाएगा। तथापि, मेस ठेकेदार, भोजन समिति एवं छात्रावास के समस्त छात्र/छात्राओं के मध्य आपसी सहमति से भुगतान की अवधि एवं प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।
02. मेस संचालन, भोजन शुल्क, दुग्ध प्रभार अथवा अन्य मेस संबंधी आर्थिक लेन–देन का दायित्व पूर्णतः भोजन समिति एवं संबंधित छात्र/छात्राओं का होगा। इस संबंध में महाविद्यालय प्रशासन की कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष वित्तीय जिम्मेदारी नहीं होगी।
03. सभी छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित समय पर मेस शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, ताकि मेस व्यवस्था सुचारु एवं नियमित रूप से संचालित की जा सके।

अमानत राशि (Security Deposit) संबंधी नियम

01. छात्रावास में प्रवेश प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र/छात्रा को निर्धारित अमानत राशि (Security Deposit) महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। यह राशि छात्रावास छोड़ने अथवा अध्ययन पूर्ण होने पर नियमानुसार छात्र/छात्रा को वापस कर दी जाएगी।

02. यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा छात्रावास की शासकीय संपत्ति, फर्नीचर, विद्युत उपकरण, कक्ष अथवा अन्य संसाधनों को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके सुधार एवं मरम्मत पर होने वाला व्यय संबंधित छात्र/छात्रा की अमानत राशि से समायोजित/वसूल किया जा सकेगा।

03. अमानत राशि की वापसी छात्रावास अधीक्षक द्वारा कक्ष एवं छात्रावास सामग्री के सत्यापन उपरांत ही की जाएगी। यदि किसी प्रकार की देय राशि अथवा क्षति शेष नहीं पाई जाती है, तो संपूर्ण अमानत राशि छात्र/छात्रा को वापस कर दी जाएगी।

छात्रावास नियमावली

भाग – 1

छात्रावासः विशेष नियम

स्थानीय अभिभावक संबंधी नियम

01. प्रत्येक छात्र को स्थानीय अभिभावक का विवरण प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।
02. स्थानीय अभिभावक की आयु न्यूनतम 45 वर्ष होना आवश्यक होगी।
03. आवश्यकता पड़ने पर छात्र से मिलने हेतु केवल अधिकृत अभिभावक को अनुमति दी जाएगी।
04. मैं छात्रावास में किसी भी बाहरी व्यक्ति, अपने किसी मित्र को अपने साथ कमरे में प्रवेश एवं निवास हेतु आमंत्रित नही करूंगा/करूंगी।

उपस्थिति एवं अनुशासन

01. छात्रावास में प्रतिदिन प्रातः 8:00 बजे एवं सायं 6:00 बजे उपस्थिति अनिवार्य होगी।
02. रात्रि 9:00 बजे के पश्चात छात्रावास से बाहर जाना प्रतिबंधित होगा। (कन्या छात्रावास हेतु सायं 05:00 बजे निर्धारित है)।
03. बिना अनुमति छात्रावास छोड़ना गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा।
04. आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

अवकाश एवं बाहर जाने संबंधी नियम

01. घर जाने हेतु पालक/अभिभावक की अनुमति आवश्यक होगी।
02. अवकाश समाप्ति पर छात्र को निर्धारित समय तक छात्रावास लौटना अनिवार्य होगा।
03. बिना अनुमति रात्रि में बाहर रुकने की अनुमति नहीं होगी।

सुरक्षा संबंधी नियम

01. छात्रावास परिसर सी.सी.टी.वी. निगरानी में रहेगा।
02. छात्रावास में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
03. किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत वार्डन/अधीक्षक को देना आवश्यक होगा।

04. ऑनलाइन खाद्य सामग्री केवल निर्धारित समय तक मुख्य द्वार पर प्राप्त की जा सकेगी।

अनुशासन एवं प्रशासन

01. छात्रावास में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध होगा।
02. छात्र किसी राजनीतिक अथवा अनुशासन विरोधी गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे।
03. छात्रावास प्रशासन/वार्डन आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त निर्देश जारी कर सकेंगे।
04. गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति में छात्रावास प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

भाग – 2

छात्रावासः सामान्य नियम

01. छात्रावास की किसी वस्तु को बिना अनुमति कमरे से बाहर नहीं ले जाया जाएगा।
02. छात्रावास संपत्ति की क्षति होने पर संबंधित छात्र उत्तरदायी होगा।
03. वार्डन की अनुमति के बिना किसी सभा या कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा।
04. हीटर, प्रेस, हॉट प्लेट एवं अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
05. भोजनालय की सदस्यता प्रत्येक छात्र हेतु अनिवार्य होगी।
06. छात्रावास में केवल निर्धारित भोजन व्यवस्था का पालन किया जाएगा।
07. व्यक्तिगत रूप से भोजन बनाना प्रतिबंधित रहेगा।
08. प्रत्येक छात्र अपने निजी उपयोग की सामग्री स्वयं साथ लाएगा।
09. छात्रों के मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी।
10. छात्रावास प्रशासन चोरी अथवा नुकसान हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
11. छात्रावास के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा।
12. सभी छात्र प्राचार्य, वार्डन एवं कर्मचारियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखेंगे।
13. शिकायत अथवा समस्या होने पर छात्र उचित माध्यम से अपनी बात रख सकेंगे।
14. छात्रावास परिसर में स्वच्छता बनाए रखना सभी छात्रों का दायित्व होगा।
15. धर्म, जाति, भाषा अथवा क्षेत्रीय आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।
16. अनुशासन, सदाचार एवं सहयोग की भावना बनाए रखना प्रत्येक छात्र का कर्तव्य होगा।
17. मैं सेमेस्टर परीक्षा समाप्त होते ही छात्रावास से नो ड्यूस करवाकर तुरंत छात्रावास खाली करूंगा/करूंगी।
18. सभी छात्र–छात्राओं को अपने साथ ग्लास, प्लास्टिक की बाल्टी एवं शययन हेतु बिस्तर, शीतकाल में कम्बल अथवा रजाई व निजी उपयोग की वस्तुएं लानी होगी।

छात्रावास में प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज –

01. पासपोर्ट साईज कलर फोटो–02

02. 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची (छायाप्रति)

03. निवास प्रमाण पत्र (छायाप्रति)

04. आधार कार्ड (छायाप्रति)

05. महाविद्यालय प्रवेश शुल्क रसीद (छायाप्रति)

06. छात्रावास हेतु शपथ पत्र

07. आय प्रमाण–पत्र

छात्रावास सम्बन्धी अनुबंध

(माता–पिता / अभिभावक द्वारा शपथ–पत्र)

———————————————————————————————————

छात्र/छात्रा का विवरण

छात्र/छात्रा का नाम	....
पिता / माता / अभिभावक का नाम	....
संबंध	....
कक्षा	....
संकाय / विषय	....
सत्र	....
छात्रावास का नाम	....
मोबाइल नंबर	....
स्थायी पता	....

अभिभावक द्वारा घोषणा

मैं, ..., शपथ–पूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि छात्र/छात्रा..मेरा/मेरी...............................है, जिसने शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर में सत्र.................हेतु प्रवेश लिया है।

मैं एवं मेरा पुत्र/पुत्री निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों को पूर्णतः पढ़ एवं समझ चुके हैं तथा उनका पालन करने हेतु सहमत हैं।

रैगिंग सम्बन्धी घोषणा

☐ मुझे UGC द्वारा जारी UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging Higher Educational Institutions, 2009 की जानकारी प्रदान कर दी गई है।

☐ मैं एवं मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग की परिभाषा, उससे संबंधित दण्डात्मक प्रावधानों तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही से पूर्णतः अवगत हैं।

☐ मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी प्रकार की रैगिंग में सम्मिलित नहीं होगा/होगी तथा न ही किसी को प्रोत्साहित करेगा/करेगी।

☐ यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग से संबंधित किसी गतिविधि में दोषी पाया जाता है, तो महाविद्यालय/छात्रावास प्रशासन द्वारा की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही मुझे मान्य होगी।

छात्रावास नियम एवं शर्तें

1. प्रवेश एवं निवास नियम

☐ छात्रावास प्रवेश केवल एक शैक्षणिक सत्र हेतु मान्य होगा। प्रत्येक सत्र में नवीन आवेदन आवश्यक होगा।

☐ छात्रावास में छात्र/छात्रा के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को ठहरने की अनुमति नहीं होगी।

☐ बिना अनुमति किसी अन्य व्यक्ति को ठहराने पर अर्थदण्ड अथवा निष्कासन की कार्यवाही की जा सकेगी।

☐ पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

2. अनुशासन एवं आचरण

☐ छात्र/छात्रा महाविद्यालय विरोधी, प्रशासन विरोधी अथवा शिक्षक विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होगा/होगी।

☐ छात्र/छात्रा किसी प्रकार के आंदोलन, उकसावे, अभद्र व्यवहार, लड़ाई–झगड़े या मार–पीट में सम्मिलित नहीं होगा/होगी।

☐ छात्रावास अधीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना रात्रि 9:00 बजे के बाद (कन्या छात्रावास हेतु सायं 5:00 बजे के बाद) छात्रावास से बाहर नहीं रहेगा/रहेगी।

3. निषिद्ध सामग्री

☐ शराब, सिगरेट, तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

☐ छात्रावास में हीटर, इंडक्शन चूल्हा, अतिरिक्त विद्युत उपकरण आदि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

4. संपत्ति एवं सुरक्षा

☐ छात्रावास की किसी भी संपत्ति को क्षति पहुँचाने पर उसका निर्धारण छात्रावास अधीक्षक/वार्डन द्वारा किया जाएगा।

☐ क्षति की पूर्ति हेतु अमानत राशि का आंशिक अथवा पूर्ण उपयोग किया जा सकेगा।

☐ छात्र/छात्रा के साथ छात्रावास परिसर के अंदर अथवा बाहर होने वाली दुर्घटना हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगा/होगी।

5. प्रशासनिक प्रावधान

☐ प्रशासनिक सुविधा, सुरक्षा अथवा अन्य कारणों से छात्र/छात्रा का एक छात्रावास से दूसरे छात्रावास में स्थानांतरण किया जा सकता है, जो मुझे मान्य होगा।

☐ भोजन व्यवस्था, मेस शुल्क एवं भोजन तालिका का निर्धारण छात्रावासी विद्यार्थियों एवं मेस संचालक की आपसी सहमति से किया जाएगा।

☐ छात्रावास अधीक्षक/वार्डन की भूमिका केवल देख–रेख एवं मार्गदर्शन तक सीमित रहेगी।

आपराधिक एवं शैक्षणिक घोषणा

☐ मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।

☐ मेरे पुत्र/पुत्री को किसी भी शिक्षण संस्थान से निष्कासित नहीं किया गया है।

विशेष घोषणा

यदि मैं निरक्षर हूँ, तो यह समस्त नियम एवं शर्तें मुझे मेरे पुत्र/पुत्री द्वारा पढ़कर एवं समझाकर बताई गई हैं।

☐लागू

☐लागू नहीं

घोषणा

मैं यह शपथ–पूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि उपरोक्त समस्त जानकारी मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है तथा मैं छात्रावास एवं महाविद्यालय के सभी नियमों का पालन करने हेतु सहमत हूँ।

दिनांक एवं स्थान

दिनांक ....

माह ....

वर्ष ....

स्थान ....

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर अभिभावक के हस्ताक्षर

....

छात्र/छात्रा का नाम अभिभावक का नाम

....

कक्षा दूरभाष

....

सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी कथन मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं मान्य हैं तथा इस शपथ–पत्र का कोई भी भाग असत्य नहीं है।

दिनांक ....

स्थान ....

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर अभिभावक के हस्ताक्षर

....